वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, ि ावालिक खण्ड,लौंगबुड,
ि ामला, हिमाचल प्रदे ा–1710001 ?

दिनांक ि ामला–1

विषयः **Diversion of 4.00 hectare of forest lnad in favour of HPPWD for the construction of Kufri-Nihon-Kheel-Demela road (Kms. 0/00 to 8/100) within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (P. No. FP/HP/Road/25608/2017)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8ठध्भ्च्ध्06ध्80ध्2019ध्थ्ब्177 दिनांक 22ध्07ध्2023 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

1ण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता न्चसवंक कर दी गई है।

2ण परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3ण **प्रतिपुरक वनीकरणः**

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौध–रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) इस वन भूमि का खसरा नम्बर 1 है।

(ग) वन मण्डलअधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेनल छच्ट की रा ाि को जमा करवा दी गई है।

4ण प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है। इस आ य की वचन बद्धता न्चसवंक कर दी गई है।

5ण **भुद्व वर्तमान मूल्यः**

क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की राि ा Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आ य की वचन बद्धता न्चसवंक कर दी गई है।

(ख) ाुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त ध ानरा ा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

6ए एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

7ए राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्याालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि ने ानल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओद ा लागू नहीं होगा।

8ए प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी संभव हो, अधिक से अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख रेख में रोपित कर ळतममदमतल को उंपदजंपद किया जाएगा। बचन बद्वता नचसवंक कर ली गई है।

9ए संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नि चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जांएगे। बचन बद्वता नचसवंक कर ली गई है।

10ए प्रस्ताव में भाामील पेंडों के अलावा अन्य वृक्षों को नहीं काटा जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्वता नचसवंक कर ली गई है।

11ए आस–पास के क्षेत्रों में वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नही पहुंचाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता संलगन है।

12ए परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोंटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किये गए है।

13ए प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आव यकता नहीं है।

14ए केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।

15ए वन भूमि पर कोई भी श्रमिक ि ाविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्वता संलगन है।

16ए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।

17ए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्दे ाानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

18ए परियोजना कार्य के नि पादन के लिए निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा जिसकी बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

19ए वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

20ए केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।

21ए इनमें से किसी भी शर्त का या वनं संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की गई कार्यावाही मान्य है।

22ण पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय–समय पर निर्धारितशर्तें मान्य होगी।

23ण बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।

24ण यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेा आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

25ण अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

Signed by
Sanjay Sood
Date: 15-01-2025 16:35:38

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अति0 प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0